HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application No. 1869/2026
In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2004/2026
CNR: RJHC020843532026 | URN: CRLAS / 3516U / 2026

Jasmat @ Pappu S/o Bijendra Singh, R/o Nagla Bilothi, Police Station Chiksana, District Bharatpur, Raj.

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Yogesh Singhal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL
Order

07/09/2026

1. अपीलार्थी–अभियुक्त **जसमत उर्फ पप्पू** की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय– **न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर** के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या– **15/2022,** उनवान **सरकार बनाम जसमत उर्फ पप्पू वगै.** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **11.08.2026,** जिसके द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा **323, 341, 325 भा.दं.सं.** में दोषसिद्ध कर निम्न दंडादेश पारित किया है, के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है:

अन्तर्गत धारा	सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
323 भा.दं.सं.	–	500/– रुपये	01 माह का साधारण कारावास
341 भा.दं.सं.	–	500/– रुपये	01 माह का साधारण कारावास
325 भा.दं.सं.	02 वर्ष का साधारण कारावास	20,000/– रुपये	04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का दौराने बहस कथन है कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी–अभियुक्त निर्दोष है एवं उसे इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उसे इस प्रकरण में क्रॉस केस से बचने के लिए फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में घटना की रिपोर्ट भी घटना के तीन दिन बाद दर्ज कराई गई है एवं देरी का कोई कारण परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि पत्रावली पर उसे दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त सामग्री/साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का गहनतापूर्वक विवेचन किए बिना ही उक्त आलौच्य आदेश दिनांक **11.08.2026** पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी–अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर आजाद था एवं विचारण न्यायालय द्वारा उसकी सजा एक माह के लिए अस्थायी तौर पर स्थगित की हुई है, उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में उसका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे रिहा किया जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. सुना गया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील के निर्णयार्थ महत्वपूर्ण तथ्य एवं विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपीलार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाये गये कानूनी

मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त **जसमत उर्फ पप्पू** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी–अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25,000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह इस न्यायालय में दिनांक **07.10.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए **''दण्डादेश''** (sentence) की क्रियान्विती को इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं अपीलार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा कर दिया जाए।

1– कि अपीलार्थी–अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात प्रत्येक माह की **पहली तारीख (अवकाश होने पर अगले दिन)** पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।

2– कि अपीलार्थी–अभियुक्त का पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित पुलिस थाने द्वारा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

3– कि अपीलार्थी–अभियुक्त के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने पर अभियोजन पक्ष यह जमानत आदेश निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

4– कि यदि अपीलार्थी–अभियुक्त अपील के विचारण के दौरान अपना स्थायी निवास का पता बदलता है तो वह इस संबंध में लिखित में सूचना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता, जो कि उसके मामले में पैरवी कर रहे हैं को अविलम्ब देगा।

9. आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वह अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलके इस न्यायालय को अविलंब प्रेषित करे।

(BHUWAN GOYAL),J

44/NIKITA